विषयः– मंत्रिपरिषद के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली नीति की प्रति मंत्रिपरिषद के सदस्यो को पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध करवाने बारे ।

.......00.....

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय पर ध्यान देने का कष्ट करेंगें ?

2. प्रायः यह देखने मे आया है कि कुछ प्रशासकीय सचिवो द्वारा नीति से सम्बन्धित ज्ञापन मंत्रिमण्डल शाखा को अन्तिम समय में प्रस्तुत किये जाते है जिनका अध्ययन करने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यो को पर्याप्त समय नही मिल पाता है ।

3. अतः उनसे अनुरोध है कि वे भविष्य में मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले ऐसे ज्ञापन जिनमे किसी नीति का अनुमोदन उपेक्षित हो मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले नीति की प्रति मंत्रिपरिषद के सदस्यो को पर्याप्त समय रहते अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि मंत्रिपरिषद के सदस्यो को प्रस्तावित निति का अध्यन करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके । इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सम्मुख ज्ञापन प्रस्तुत करते समय ज्ञापन में उस तिथि का वर्णन करना भी सुनिश्चित करे जिस तिथि को नीति की प्रति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई हो ।

रजनी शर्मा
अवर सचिव, मंत्रिमण्डल
कृतेः सचिव मंत्रिपरिषद् हरियाणा

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

अशा कमांक 10/11/2011–2 कैबिनेट — दिनांक 17 अप्रैल, 2018 ।